# सोसायटी फार सस्टेनेबिल डिवलपमेन्ट, करौली

## वार्षिक रिर्पाट १९९८–९९

सोसायटी फार सस्टेनेबिल डिवलपमेन्ट, संस्थान का यह वर्ष पिछले कार्यक्रमों व परियोजनाओं को पूरा करने व आगे बढाने तथा नये कार्यक्रम शुरू करने की दिशा में रहा। संस्थान अपने मिशन सतत विकास व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी को बढावा देने की ओर अग्रसर रहा। कार्यक्षेत्र करौली जिले के अन्तर्गत सीमित रहा।

### वनों के प्रबन्ध में लोगों की भागीदारी :–

### कुल्हाड़ी बन्द पंचायत :–

हमारे कार्य क्षेत्र में पहले जंगल के प्रति ग्रामीणों में कोई लगाव नही था। जंगल बहुत कटता था और लोग बगैर सोचे समझे कुल्हाडी चलाते थे। एक गॉव के लोग दूसरे गांव की सीमा में जाकर कुल्हाडी चलाते थे। इससे जंगल कटने लगा और लोगों को ही इसका भारी नुकसान हुआ। वन विभाग वाले उनकी कुल्हाडी छीन लिया करते थे और उन पर जुर्माना लगा दिया करते थे। दोनों में काफी तनाव हो जाया करता था। संस्था के सहयोग से गांव के कुछ समझदार लोगों ने इस पर ध्यान दिया और कुल्हाडी बन्द पंचायत के नाम से एक समिति का गठन किया गया जिसमें उन्होने निर्णय लिया की कोई भी व्यक्ति बेवजह कुल्हाडी नही चलायेगा व जंगल को नुक्सान नही पहुँचाया जायेगा। जो भी बेवजह कुल्हाडी चलायेगा उसे ५००/– रू० जुर्माना देना पडेगा। इससे क्षेत्र में जंगल को हो रहे नुक्सान में भारी कमी हुई है, और जंगल की बढोतरी दिखने लगी है। इससे ग्रामीणों को भी चारे व लकडी की उपलब्धता बढ़ी है, और वे इस कदम को अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक मानने लगे हैं।

### पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम:–

संस्थान ने कैलादेवी अभ्यारण्य के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की पारिस्थितिकी विकास परियोजना, कार्यक्रम व रणनीति तैयार की है। इस रणनीति में अभ्यारण्य पर पड रहे दबावों को कम करने के साथ–साथ लोगों के जीवन यापन की पूर्ति की योजना भी बनाई गई है। यह योजना लोगों की पूर्ण भागीदारी व सहभागिता से तैयार की जा रही है। यह योजना विश्व प्रकृति निधी भारत की मदद से तैयार की गई है। योजना कियान्वयन शुरू कर दिया गया है।

### बाघ परियोजना का पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम :–

भारत सरकार, विश्व बैंक व ग्लोबल एन्वायरनमेन्ट फैसिलिटी के सहयोग से रणथम्भोर सहित देश की सात बाघ परियोजनाओं में इको डिवलपमेन्ट कार्यक्रम के कियान्वयन में स्थानीय वन्य जीव प्रशासन की संस्थान मदद कर रहा है। संस्थान ने इस पर एक रिर्पोट भी तैयार की है। संस्थान कार्यक्रम के सही तरीके से कियान्वयन तथा गॉवों को जबरदस्ती विस्थापन नही करने के मामले को भी देख रहा है ।

संयुक्त सुरक्षित क्षेत्र कार्यशाला अनुगमन:-

दिसम्बर, ९६ में हुई कार्यशाला के बाद उसके अनुगमन की कार्यवाही की जा रही है। पानी की कमी दूर करने के लिये नये जलगृह बनाने का प्रस्ताव वन विभाग को दिया गया है। वन विभाग द्वारा भी कार्यशाला के प्रस्तावों पर कार्यवाही करने की सैद्धान्तिक सहमति मिल गई है। विभाग द्वारा भी नये जलाशय बनाये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे जा रहे हैं। इन जलाशयों का उपयोग वन्य-जीवों के साथ स्थानीय मवेशी को भी पीने के लिए हो सकेगा। पशुओं को टीकाकरण के लिये भी अभ्यारण्य अधिकारियों को कई बार कहा गया व नियमित सम्पर्क बनाया गया परन्तु विभाग के माध्यम से टीकाकरण करवाने में अभी तक सफलता नही मिली है। संस्थान द्वारा अपने स्तर पर मवेशी का टीकाकरण किया जा रहा है।

वन्य-जीवों द्वारा मवेशी को मारे जाने पर मुआवजे के लिये की कई कार्यवाही में संस्था को सफलता मिली है। विभाग द्वारा मवेशियों के मारे जाने पर मुआवजा स्वीकृत किया जा रहा है। मुख्य वन्य-जीव संरक्षक ने भी आश्वासन दिया है कि इस सम्बन्ध में बजट की कमी नही आने दी जायेगी। विश्व प्रकृति निधी के बाघ संरक्षण परियोजना कार्यक्रम का भी इस सम्बन्ध में सहयोग लेने का प्रयास किया जा रहा है।

एक्सपोजर टूर :-

वन विभाग के सहयोग से अभ्यारण्य क्षेत्र के ग्रामीणों का एक एक्सपोजर टूर रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के भ्रमण के लिए ५ व ६ जनवरी, ९९ को ले जाया गया। इस भ्रमण का उद्देश्य ग्रामीणों को रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी देना तथा वंहा लोगों के विकास के लिए संस्थाओं द्वारा किये जा रहे कार्यों को देखना था। उद्यान के निदेशक श्री राजीव कुमार त्यागी भी इस भ्रमण के दौरान ग्रामीणों के साथ रहे। श्री त्यागी ने उन्हे राष्ट्रीय उद्यान व अभ्यारण्यों के महत्व के तरीके समझाया तथा उनकी समस्याओं की जानकारी ली। ग्रामीण वन व वन्य जीव संरक्षण में किस प्रकार भाग ले सकते हैं इस बारे में भी उन्होंने ग्रामीणों से विचार विमर्श किया। ग्रामीणों ने राष्ट्रीय उद्यान का भ्रमण भी किया। ग्रामीण खण्डार क्षेत्र के वन क्षेत्र में चारागाह व वन विकास के कार्यों को देखने गये व इस सम्बन्ध में वँहा के निवासियों से बातचीत कर अपनी जिज्ञासा शान्त की। ग्रामीणों ने गोबर गैस इसकी उपयोग की विधि व फायदों की जानकारी ली तथा उन्हे कार्य करते देखकर अपने यहां लगवाने की जिज्ञासा भी प्रकट की। ग्रामीण रणथम्भौर से पुर्नवासित ग्राम गोपाल पुरा के ग्रमीणों से भी मिले।

वन विभाग के साथ सम्बन्ध :-

कार्य क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा अभ्यारण्य की सीमा में होने व अधिकतर जमीन वन विभाग के कब्जे में होने के कारण ग्रामीणों को नित्य आवश्यकता के लिए वन विभाग के अभ्यारण्य अधिकारियों व कर्मचारियों के सम्पर्क में रहना पडता है। इसी को ध्यान में रखते हुऐ संस्था ने विभाग के अधिकारियों के साथ उच्छे सम्बन्ध बना कर रखे हुऐ हैं। क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी उपवन संरक्षक व बाघ परियोजना निदेशक तथा वन संरक्षक के साथ मिल कर लोगों की समस्याऐं उन्हें बताने, लोगों के कार्यों व जरूरत के बारे में अधिकारीयों की समझ स्पस्ट करने तथा सरकार की सोच को ग्रामीणों तक पंहुचाने का कार्य संस्था ने इस दौरान किया। वन संरक्षक के २५. १२. ९८ तथा २५. ३. ९९ के अभ्यारण्य के दौरे के दौरान उन्होंने संस्थान प्रतिनिधी को अपने साथ लिया तथा अभ्यारण्य व वंहा के ग्रामीणों के विकास के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा व विचार विमर्श किया। अभ्यारण्य के प्रभारी उपवन संरक्षक ने भी अभ्यारण्य के विकास के लिए संस्थान से समय समय पर सुझाव व सहयोग मांगा जिसे संस्थान ने पूरा किया।

जंगली जानवरों द्वारा मारी गई मवेशी का मुआवजा :-

अभ्यारण्य क्षेत्र में जंगली जानवरों द्वारा पालतु मवेशी को मार देने की घटनाएं होती रहती हैं। इस घटनाओं से गरीब किसानों व पालतु पशुपालकों को अपनी आय के साधन से हाथ धोना पड़ता है। संस्थान ने इस नुकसान की पूर्ति के लिए वन अधिकारियों से चर्चा की तथा इस सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा जारी मुआवजा आदेश को लागू करवाया। वन संरक्षक ने अपने दौरे के दौरान २५/१२/६८ को निभैरा ग्राम के पशुपालकों को मुआवजे का तुरन्त भुगतान करवाया तथा ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि इस प्रकार की कोई भी और घटनाएँ होने पर तुरन्त सूचना की स्थिति में मुआवजा भुगतान में देरी नही की जावेगी। इस प्रकार के आदेश उन्होने अधीनस्थ अधिकारियों को भी दिये।

सयुंक्त वन प्रबन्ध :-

वन मंडल करौली के सहयोग से सुरक्षित क्षेत्र के बाहर स्थित वन क्षेत्र में भी लोगों को वन संरक्षण के प्रति प्रेरित करने के लिए समय-समय पर आयोजन किये गये हैं। इन क्षेत्रों में भी कुल्हाडी बन्द पंचायतों के गठन के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीणों की जीवन यापन की समस्या को ग्राम समीति के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का कार्य भी किया गया है। ग्रामीणों द्वारा वनों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तथा सयुंक्त रूप से वनों के प्रबन्ध करने पर सहमति व्यक्त की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि उनका जीवन यापन पूर्ण रूप से वनों पर निर्भर है। जमीन के लगातार कम होने से पशुपालन पर उनकी निर्भरता बढ रही है। ग्रामीणों ने पास के बडे गाँवों द्वारा अवैध रूप से लकडी कटाई को स्वय रोकने में असमर्थता व्यक्त की तथा कहा कि वन विभाग इसके लिये सक्षम कार्यवाही करे।

एन.जी.ओ. मोनीटरिंग नेटवर्क:-

विश्व प्रकृति निधि द्वारा संचालित एन.जी.ओ. मोनीटरिंग नेटवर्क के सक्रिय सदस्य के रूप में राजस्थान के संरक्षित क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों के समाचारों से सभी सदस्यों को अवगत कराने व समय पर उचित कार्यवाही के दृष्टिकोण से कार्य किया गया। समाचार पत्रों में समय-समय पर छपने वाले समाचारों व लेखों को नेटवर्क में भेजा गया। रणथम्भोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ परियोजना व कैलादेवी अभ्यारण की सूचनाएँ एकत्रित कर प्रसारित की गई। विश्व प्रकृति निधी द्वारा उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका के फलस्वरूप क्षेत्र की स्थिति का भी अध्ययन कर रिर्पोट बनाई गई।

संस्थान द्वारा कैलादेवी अभ्यारण्य व चंबल घडियाल अभ्यारण्य में आने वाले शिकारियों व लकड़ी काटने वालों की रोकथाम के लिए अभ्यारण्य क्षेत्र के अन्दर व आस पास के गाँवों के लोगों को प्रेरित कर तैयार किया गया है कि वे उनके क्षेत्र में आने वाले अवैध शिकारियों को पकडें व विभाग के सुपुंद कर दें। संस्थान ने कैलादेवी अभ्यारण्य की वर्तमान स्थिति पर एक आलेख भी तैयार किया है।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम:-

संस्थान ने भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय तथा पर्यावरण शिक्षण केन्द्र, सवाई माधोपुर के सहयोग से राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम किया। कार्यक्रम करौली जिले की पंचायत समिति सपोटरा के अन्तर्गत १३ अप्रेल को मोरेची व १४ अप्रेल को रायवेली ग्राम में किया गया। कार्यक्रम के दौरान दीवार लेखन, बच्चों की रैली, पर्यावरण प्रदर्शनी, चित्रकला प्रतियोगिता व आमसभा सेमीनार रखी गई। कार्यक्रम से १२०० लोगों में पर्यावरण सम्बन्धी जागरूकता व जानकारी फैली। कार्यक्रम के दौरान जन प्रतिनिधी, सरपंच, पर्यावरण शिक्षण केन्द्र के पर्यावरण कर्मी उपस्थित थे।

जल संसाधनों का सामुदायिक प्रबन्ध:-

संस्थान ने कार्य क्षेत्र में पीने व सिंचाई के लिये पानी की भारी कमी को देखते हुये पानी के सामुदायिक प्रबन्ध का कार्य शुरू किया है। संस्थान ने इसके लिये वर्षा के बहते पानी को रोककर नये तालाब, पोखर व एनीकट का निर्माण व पूर्व के बने हुऐ जल संसाधनों की मरम्मत व पुनःनिर्माण का कार्य शुरू किया है। कार्य क्षेत्र के ग्रामीणों से ग्राम विकास समितियों के माध्यम से प्रस्ताव लेकर कार्य करना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों की ओर से ऐसे कार्यों में पूरा सहयोग व समर्थन दिया जा रहा है। संस्थान पूर्व में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण व ग्राम पंचायतों का छोटे तालाबों की मरम्मत कार्यों में सहयोग कर चुका है। तालाबों व पोखरों की मरम्मत व निमार्ण से ग्रामीणों के न केवल पशुओं के पानी की किल्लत ही दूर होगी बल्कि सिचाई के लिये भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध रहेगा। इससे उनको खेती में रोजगार के अवसरों में भी वृद्वि होगी। इसके अलावा भूमि व जल संरक्षण का कार्य भी हो सकेगा। अभ्यारण्य क्षेत्र में भूमि कटाव की समस्या काफी अधिक है।

एनीकट/चेकडेम :-

हमारे कार्य क्षेत्र निभैरा ग्राम पंचायत के ग्राम निभैरा में वन विभाग द्वारा दो ऐनीकट का निर्माण कराया गया है। संस्था द्वारा क्षेत्र में पानी की कमी दूर करने के लिए वन विभाग के उच्च अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर क्षेत्र में एनीकट, चेकडेम अथवा पानी के अन्य स्त्रोत विकसित करने के प्रयास पिछले वर्षों से किये जा रहे थे। वन विभाग द्वारा एनीकट निर्माण किये जाने के बाद क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बढी है। उपरोक्त कारण से हम हमारी परियोजना में चेकडेम निर्माण का कार्य नही कर पाये है।

पोखर व तलाईयों की मरम्मत :-

संस्था द्वारा कार्य क्षेत्र के गॉवों में स्थित तालाबों व पोखरों की मरम्मत का कार्य इस परियोजना के माध्यम से करना शुरू किया है। संस्थान के प्रयासों से ग्रामीणों में अपने पोखरों व तालाबों की मरम्मत व सफाई करने सम्बन्धी जागरूकता पैदा हुई है। मोरेची गॉव में इस दौरान मोहर सिंह व हरी सिंह तथा मोहन सिंह व हुकम सिंह की दो पोखरों का कार्य सम्पन्न हुआ। जिनका भुगतान भी संस्थान द्वारा कर दिया गया है। इसके अलावा निभैरा गॉव के रामदयाल पुत्र जैन्या तथा हरी सौरेठ की दो पोखरों का मिट्टी सफाई व निर्माण पूरा हुआ जिनका भुगतान कर दिया गया है। वर्तमान में निभैरा व मोरेची में पोखरों का निमार्ण कार्य व मिट्टी की सफाई का कार्य चालू है।

अरण्यवार्ता :-

संस्थान द्वारा राजस्थान के अभ्यारण्य, वन क्षेत्र व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के सम्बन्ध में हो रही घटनाओं, सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाहियों व इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाऐ जा रहे नीति, नियमों व कानूनों की जानकारी इच्छुक रूचि रखने वाले व्यक्तियों को देने के लिहाज से अरण्यवार्ता के नाम से निजी वितरण के लिए एक प्रकाशन शुरू किया गया है। हिन्दी में प्रकाशित अरण्यवार्ता के बारे में कई लोगों की प्रतिकिया प्राप्त हुई है और सभी ने इसे निरन्तर प्रकाशित करने व उन्हें भिजवाने का अनुरोध भी किया है।

# सतत विकास

ग्राम स्तरीय विकास संगठन निर्माण:-

संस्थान विकास योजना के निर्माण से कियान्वयन तक के कार्यो के विकेन्द्रीकरण की पक्षधर है। इसी सोच को लेकर संस्थान ने अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामों में ग्राम विकास संगठनों का निर्माण किया है। ग्रामीणों के परामर्श से गॉव के विकास के संदर्भ में चिन्तन व कार्य कियान्वयन के लिये सम्बन्धित गॉव के व्यक्तियों को चुनकर ग्राम विकास समिति का गठन किया गया है। जिसकी माह में दो बार बैठकें होती है। बैठकों में समिति के सदस्य गॉव की समस्याओं को प्रस्ताव के माध्यम से संस्था तक भेजते है, जिनका संस्था द्वारा सरकारी अधिकारियों से मिलकर अथवा संस्था के निजी स्त्रोतों से समाधान का प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में निभैरा ग्राम पंचायत के आठ ग्रामों में विकास समितियॉ बनी हुई हैं। अब तक विभिन्न गॉवों की समितियों के प्रस्तावों के माध्यम से वन विभाग, पशुपालन विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भू संरक्षण व जलग्रहण विभाग के अधिकारीयों को क्षेत्र अवलोकन कराकर ग्रामिणों से परिचर्चा का आयोजन किया गया है।

ग्राम संगठन व विकास :-

कार्यक्षेत्र में शुरू की अवधि में गठित की गई ग्राम विकास समिति की बैठकों की निरंतरता व इसमें उठाये गये विषयों की विविधता इस वर्ष में बढ गई। ग्रामीणों में-ग्राम संगठन की आवश्यकता को महसूस किया जाने लगा तथा बैठकों के दौरान उनकी उपस्थिति भी अधिक रहने लगी है। बैठकों में समिति के सदस्यों द्वारा ग्राम की समस्याओं को संस्था के माध्यम से अथवा सीधे ही सरकारी अधिकारियों को भिजवाने की परम्परा शुरू की गई है, ताकि ग्रामीण सीधे सरकारी अधिकारियों के सम्पर्क में आ सकें। संस्थान द्वारा भी सरकारी अधिकारियों से मिलकर समस्याओं के समाधान के प्रयास किये जा रहे हैं। संस्थान अपने निजी संसाधनों से भी लोगों की समस्याओं के निपटारे में सहायता कर रही है।
सभी ग्राम विकास समितियां अपने पत्र छपे हुऐ लैटर पैड पर अधिकारियों को भिजवा रही हैं। यह लैटर पैड संस्थान ने समितियों को उपलब्ध कराये हैं। वर्तमान में निभैरा ग्राम पंचायत के आठ ग्रामों निभैरा, मरमदा, झिजुरा, रायबेली, वीरमकी, आशाकी, भर्रपुरा व मोरैची में ग्राम विकास समितियां बनी हुई है। ग्रामीणों ने ग्राम विकास समिति के माध्यम से निम्न समस्याऐं बताई है:-

- पशुओं में बीमारी से बचाव के लिए टीके
- मलेरिया बुखार व अन्य बीमारियों की रोकथाम
- स्वास्थ्य कार्यकर्ता की आवश्यकता
- रोजगार के लिए प्रशिक्षण
- गर्भवती महिलाओं की जॉच
- शिशु व महिला विकास कार्यक्रम शुरू करने
- पीने के पानी की समस्या
- सौर उर्जा लाईट की आवश्यकता
- दाई प्रशिक्षण
- पशुओं मे धुरू एवं खुरपका नामक संक्रामक रोगों का फैलना
- धानी में भूजा रोग व अन्य रोगों का फैलाव ।

- पेयजल स्त्रौतों जैसे हैण्डपम्पों का लम्बी अवधि से खराब होना
- निभैरा गॉव के उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक का पद स्थापन न होना
- वीरमकी, मोरेची व खजूरा में नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना
- जनसमुदाय में बुखार एवं उल्टी दस्त आदि संक्रामक रोगों का प्रसार
- मवेशियों को पीने व खेती में सिचाई के लिये पानी का अभाव

महिला संगठन :-

कार्यक्षेत्र के सभी आठ गॉवों ग्रामों निभैरा, मरमदा, खिजुरा, रायवेली, वीरमकी, आशाकी, भर्रपुरा व मोरेची गॉव में महिलाओं की समस्याओं को जानने व उनका निराकरण करने तथा ग्राम विकास समिति द्वारा की जा रही कार्यवाही की जानकारी उन्हें देने व उनके सुझाव लेने के उद्देश्य से महिला समूहों का गठन किया गया है, जिन की माह में एक बार बैठक करने की कोशिश की जा रही है। इस वर्ष २४ बैठकें आयोजित की गई हैं। महिला समूह की बैठकों में ग्राम विकास समिति द्वारा उठाई गयी समस्याऐं ही सामने आ रही है। महिलाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण देने तथा ऋण उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में जिला कलैक्टर के माध्यम से कार्यवाही कराने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीणों की समिति की एपेक्स बोडी की बैठक :-

निभैरा पंचायत के आठ ग्रामों में बनी ग्राम विकास समितियों के सभी सदस्यों की एक बैठक १३ दिसम्बर, ९८ को निभैरा में रखी गई। इस बैठक में ग्रामीणों ने अपने आपने गॉवों में हो रहे कार्यों व इसके तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। ग्रामीणों ने अपनी सभी समस्याओं के बारे में भी चर्चा की तथा उन्हें आपस में मिलकर सुलझाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया।

ढांचागत समायोजन का प्रभावः-

संस्थान देश में १९९१ से जारी ढाचांगत समायोजन व नई आर्थिक नीति के ग्रामीण समुदाय पर पडने वाले प्रभावों को जॉचने के लिये सर्वे कार्य कर रही है। इस सर्वेक्षण का तीसरा चक्र इस वर्ष किया गया। इसमें निभैरा, मरमदा, आशाकी, व रायवेली गॉवों के ६० परिवारों का सर्वेक्षण किया गया। यह सर्वे कार्य आस्था उदयपुर के साथ किया जा रहा है। इस सर्वे से पता लग सकेगा कि वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड रहा है।

मानव संसाधन विकासः-

संस्थान ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को सूचना व तकनीकि की जानकारी देकर व प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर उनमें जागृति व आत्मविश्वास उत्पन्न कर रही है। अभी तक विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों की मीटिंग करवाई जा चुकी है। इसी प्रकार संस्थान के कार्यकर्ता भी विभिन्न प्रशिक्षणों व कार्यशालाओं में भाग लेकर अपनी जानकारी व ज्ञान बढाकर क्षमता वर्धन करते रहते है।

प्रशिक्षण शिविर :

ग्रामीणों को अपने स्तर पर आत्मनम्बी बनाने एवं नई विधा व तकनीकों से अवगत कराने को ग्रामीणों के मांग अनुसार संस्था द्वारा विषयवार प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किया गया है ।

इस श्रंखला का आरम्भ "ग्रामीण युवक आत्मलम्बन" विषयक प्रशिक्षण २१ एवं २२ सितम्बर १९९८ को रखा गया। जिसमें परियोजना क्षेत्र के आठो गॉवों से ३ से ५ युवक ग्रामीणों ने भाग लिया। इस प्रकार लगभग ३२ प्रशिक्षणार्थी शामिल हुये। दो दिवसीय प्रशिक्षण में अतिरिक्त जिला कलेक्टर करौली श्री पी.सी.पवन, अ.जा., ज.जा. निगम से श्री दुर्गालाल मीणा, सेवानिवृत विकास अधिकारी श्री भंवरलाल, पशु चिकित्सक डा. श्री हरिसिंह, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० हरिमोहन मीणा, सहायक कृषि निदेशक श्री ओ. पी. बंसल, सहायक वन संरक्षक श्री लाल सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आर.सी.गुप्ता एवं समाज कल्याण अधिकारी श्री हलीम खॉ ने प्रशिक्षणार्थियों के रूचि के अनुसार अपने विभागों से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देकर उनसे लाभान्वित होने का मार्ग बताया ।
इस प्रशिक्षण की सफलता से प्रेरित होकर भविष्य में पृथक-२ वर्ग की अभिरूचि अनुसार सम्बन्धित विषय में विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षणों का संस्था द्वारा प्रस्ताव है ।

उक्त प्रशिक्षणों के आयोजनों से ग्रामीण जो कि पिछडे व डांग क्षेत्र के निवासी है, की रूचि बढेगी व नवीनतम ग्राम विकास की योजनाओं से अवगत हो पाएंगे तथा प्रशासन में पनप रहे दलालों से उन्हें निजात मिल सकेगी। संस्था प्रशिक्षित होकर गये युवाओं से ग्राम विकास समिति के माध्यम से सभी ग्रामीणों को प्रशिक्षण में मिली सूचनाये विस्तार से देने के लिये प्रेरित भी कर रही है।

पशु चिकित्सक मीटिंग :-

२१ अगस्त, १९९८ को पशु टीकाकरण शिविर के आरम्भ में ग्राम निभेरा के बन्धन के पुरा में पशु चिकित्सा अधिकारी डा० हरीसिंह जी के तत्वाधान में मीटिंग का आयोजन किया। जिसमें डा० साहब ने पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारीयों के लक्षण और उनके रोकथाम के उपायों में टीकाकरण के महत्व को प्रतिपादित किया। मीटिंग में चालीस ग्रमीण उपस्थित रहे, चर्चा में खुरपीटा व घुरू रोग पर विस्तृत प्रकाश डाला गया । हरी सिंह जी ने उत्तम पशु नस्ल के बारे में बताया व सरकारी कार्यक्रमो के बारे में भी जानकारी दी ।

पशुनस्ल सुधार एवं पशुओं में आम बीमारी

६ अक्टूबर, ९८ को ग्राम आशाकी में पशु चिकित्सा अधिकारी डा० हरीसिंह जी की ग्रामीणों के साथ बैठक रखी गई , जिसमें ३५ ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों को डा० साहब ने चर्चा के दौरान नस्ल सुधार में कृत्रिम गर्भाधान के महत्व को प्रतिपादित किया । बैठक में बधियाकरण, पशुओं के आम रोग दस्त, जहर चढना, पेट में पटेरे पडना, आफरा आना का लक्षणों सहित, घरेलू उपचार व अंग्रेजी उपचार बताया गया। संक्रामक बीमारियों से बचाव में सहायक टीकाकरण पर विस्तार से जानकारी दी गई। चर्चा रात्रि ७.०० से ९.०० बजे तक अविराम व शान्ति से चली एवं ग्रामीणों ने विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से डा० साहब से ज्ञान अर्जन कर अपनी जिज्ञासा को शान्त किया ।

पशु चिकित्सा, नस्ल सुधार व टीकाकरण पर वार्ता :-

पशुओं की घरेलू व औषधिया चिकित्सा, बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण व नस्ल सुधार विषय पर पशुपालन विभाग के सहयोग से १२ दिसम्बर, ९८ को निभैरा व १३ मार्च, ९९ को मोरेची में प्रशिक्षण व जागरूकता शिविर रखे गये। इन शिविरों में विभाग के पशुधन विशेषज्ञ डा० हरीसिंह ने पशुओं में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों के लक्षण, उनकी रोकथाम के उपायों में टीकाकरण के महत्व को प्रतिपादित किया। शिविरों से १६० ग्रामीण लाभन्वित हुऐ। डा० हरीसिंह ने उत्तम पशु नस्ल, इसके बारे में सरकारी योजनाओं, कृत्रिम गर्भाधान के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बधियाकरण, पशुओं के आम रोग दस्त, जहर चढना, पेट में कीडे पडना, आफरा आना, दस्त व पॉक

के लक्षणों सहित घरेलु उपचार व अंग्रेजी उपचार के बारें में बताया। ग्रामीणों के विभिन्न प्रश्नों व जिज्ञासाओं को भी डा० हरीसिंह ने पूरा किया।

पशु चिकित्सा, टीकाकरण व बधियाकरण :-

डांग क्षेत्र में पशु धन वहां के ग्रामीणों के लिये बहुत महत्व रखता है। कृषि प्रधान क्षेत्र होने से पशुओं का अस्तित्व वहां के आर्थिक स्तर को सीधा प्रभावित करता है। अतः संस्था ने अपने कार्यों में पशुधन संरक्षण और संवर्धन पर आरम्भ से ही जोर दिया है। इसी श्रंखला में ग्रामीणों की जबरदस्त मांग पर व कार्यकर्ताओं के अनुभवों के आधार पशुओं में फैल रही संक्रामक व्याधियों की रोकथाम के लिये टीकाकरण को अभियान के रूप में चलाना आरम्भ किया। अभियान के दौरान ५.८.९८ से २१.८.९८ तक घुर्रू रोग एवं खुरपीटा के टीके लगवाये गये। शिविर के दौरान खिजूरा गॉव में ६७, रायबेली में १०३, मोरेची में १६०, बन्धनकापुरा में ८३, भर्रपुरा में ७०, आशाकी में ४५, वीरमकी में ५६ एवं मरमदा गॉव में १३५ पशूओं में घुर्रू रोग की रोक थाम का टीकाकरण किया गया तथा खिजुरा मोरेची और निभेरा में खुरपीटा रोग का ११४ पशुओं में टीकाकरण किया गया। खुरपीटा रोग का टीकाकरण संस्था टीम एवं पशुविभाग के पशुधन सहायक श्री भंवर सिह जी द्वारा किया गया। सभी ग्रामों में ३८६ खुरपीटा के टीके लगाये गये तथा ३२ पशुओं का बधियाकरण किया गया। इस कार्यक्रम में पशुधन विभाग के पशु सहायक श्री भंवर सिंह तथा पशुधन विशेषज्ञ डा० हरि सिंह का सहयोग लिया गया। टीकाकरण से पशुओं की बीमारीयों से मृत्युदर में भारी कमी आई है।

उक्त शिविरों के दौरान १७८० पशुओं की चिकित्सा कर उचित मूल्य पर दवा उपलब्ध करवाई गई। घुर्रू के टीकाकरण शिविरों के बाद कार्यक्षेत्र में एक भी पशु की इस रोग से मृत्यू नही हुई जबकि पूर्व में प्रति वर्ष ८० -१०० पशु इस रोग से मर जाते थे।

कृषि विकास शिविर :-

ग्रामीणों के द्वारा कही गई व संस्था कार्यकर्ताओं द्वारा अवलोकन के आधार पर कृषि क्षेत्र में लग रहे अनेक रोगों की गम्भीर समस्या को देखते हुये कृषि विभाग के उच्चाधिकारियों से विमर्श कर ७ सितम्बर, ९८ को ग्राम खिजूरा एवं ग्रॉम निभेरा में एक सैद्धान्तिक व प्रायोगिक कृषि समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें सहायक कृषि निदेशक गंगापुर सिटी, श्री सुभाष सिंह जी, कृषि अधिकारी श्री टीकाराम गुप्ता, उनके दल के साथ पहुचें व उक्त दोनो गॉवों में धान की फसल का विस्तार, उनमें लग रहे भूजा रोग, मोडक, धब्बा रोग आदि के बारे प्रत्यक्षतः खेतो में जाकर देखकर परामर्श दिया गया। धान की उन्नत किस्मों रतना, बासमती के बारे में जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त बीजोपचार, पौध तैयार करना, जीवाणु खाद तैयार करना, गेंहू, सरसों बुवाई, देशी खाद तैयार करने पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उक्त शिविर में दवाई का छिडकाव किया व अनुदान पर स्प्रे पम्प भी प्रदान किये गये। शिविर का उपयोग करीब ६० किसानों ने किया।

महिलाओं को कृषि प्रशिक्षण:-

महिलाऐं कृषि का अधिकांश कार्य करती हैं। परन्तु अशिक्षित होने व उनको महत्व नही दिये जाने के कारण उन तक नई जानकारीयां नही पहुंच पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए २४ दिसम्बर, ९८ को कृषि विभाग के सहयोग से महिलाओ को प्रशिक्षण के लिए एक दिन का कार्यक्रम रखा गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी तथा ग्राम सेवक ने भाग लिया। कृषि अधिकारीयों ने फसल के उन्नत बीजों के उपयोग एवं उपचार एवं मात्रा, उर्वरकों का प्रयोग, सरसों एवं चने की फसलों मे बीमारीयों व उनका नियंत्रण विषय पर प्रकाश डाला। कृषि अधिकारियों ने महिलाओं को खेतों में जाकर प्रायोगिक जानकारी दी तथा उनके द्वारा पूछी गई जिज्ञासाओं का

समाधान भी किया। इसके अतिरिक्त पौधे तैयार करना, जीवाणू खाद तैयार करना, देशी खाद आदि की जानकारी के साथ सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।

सहकारी समिति से खाद व बीज उपलब्ध करवानाः—

ग्राम विकास समिति की बैठकों में ग्रामीणों द्वारा सहकारी समिति से खाद व बीज उपलब्ध करवाने की संस्था से अनुरोध किया गया संस्था द्वारा सहकारी समिति में जाकर पता लगाया गया कि कौन सा बीज व खाद उपलब्ध है व समिति द्वारा किसी तरह व किन दरों पर दिया जा रहा है। सहकारी समिति द्वारा बीज व खाद की जानकारी ग्रामवासियों की दी गई। गेंहू का बीज ११००/— रू० क्विण्टल था। ग्रामीणों द्वारा अपनी जरूरत के हिसाब से गेंहू की बीज लिए गये। गेंहू का बीज मंहगा होने की वजह से कम ही ग्रामीणों ने बीज खरीदे। अधिकतर ग्रामीणों ने स्वयं के सुरक्षित रखे बीज का उपयोग किया। खाद का बाजार भाव २१०/— रू० प्रति ५० किलो था। सहकारी समिति से १६०/— रू० का कट्टा मिल रहा था। मोरेची व निभैरा से १२ लोगों ने ये खाद क्रय किया। मोरेची में १७१०/— रू० का ६ कट्टा खाद दिलवाया व निभैरा में ३८००/— रू० का २० कट्टा खाद दिलवाया गया जिससे उन्हें २६०/— रू० का आर्थिक लाभ हुआ। इससे ग्रामीणों में सहकारी समिति के कार्यो की जानकारी हुई तथा उन्होनें आगे आवश्यकता होने पर सहकारी समिति से खाद बीज अथवा ऋण लेने की बात भी कही।

सामुदायिक स्वास्थ्यः—

डाँग क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में मरमदा, दौलतपुरा और नैनीया की में उपस्वास्थ्य केन्द्र हैं किन्तु इनका कार्य नगण्य है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों की भवन व्यवस्था जर्जर है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता साधन अभाव के कारण दूरस्थ गाँवों में नाम मात्र को ही जा पाते है। परियोजना क्षेत्र के गाँवों मोरेची, भर्रपुरा, वीरमकी, रायवेली, खिजूरा, आशाकी आदि गाँवों में ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार नही के बराबर है। कैलादेवी प्राथमिक स्वा० केन्द्र यहाँ से १५ कि० मी० दूर व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करणपुर १५ कि० मी० दूर घाटी उतरकर है यहाँ दिन में आवागमन के सीमित साधन रहते है।

सरकार के पूर्व संचालित निःशुल्क दवा वितरण केन्द्र सुप्त प्राय पडे हुये हैं। चूकि संस्था इस क्षेत्र में एकीकृत ग्राम विकास कार्यो में संलग्न है। स्वास्थ्य स्तर हल्का रहने से ग्रामीणों के आर्थिक स्तर पर गिरावट होती है व विकास की राह में अवरोध उत्पन्न होता है। संस्था की परियोजना प्रस्ताव में सामुदायिक स्वास्थ का कोई बजट नही होने से संस्था द्वारा आवश्यकतानुसार कार्य नही कर सकी है। प्रारम्भिक स्तर पर ग्रामीणों की बैठकों में तय किया कि प्राथमिक उपचार गाँव स्तर पर ही मिलने से इसके अभाव में हो रही अकाल मृत्यु पर रोग लग पाये इस उददेश्य से मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी करौली, चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी ब्लॉक प्राथमिक स्वा० केन्द्र हाडौती, उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मलेरिया करौली व प्रभारी अधिकारी प्रा० स्वा० के०, करणपुर से वार्ता की गई है। मन्थर गति से प्रगति जारी है।

इसके साथ ही परम्परागत प्रसविकाओं का भी संस्था द्वारा चयन किया गया है ताकि उनको प्रशिक्षित कराया जाये जिससे क्षेत्र में सुरक्षित प्रसव हो सकें व रोग प्रतिरक्षा सुविधा मिल सके ताकि शिशु मृत्यु दर पर काबू पाया जा सके। इस संदर्भ में प्रा० स्वा० केन्द्र करणपुर एवं मु० चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सा० चिकित्सालय करौली व उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी परिवार कल्याण स० माधोपुर से पत्र व्यवहार किये गये है किन्तु अभी तक उचित प्रति उत्तर नही मिलने से प्रशिक्षण तिथि निश्चित नहीं हो पाई है। संस्था का प्रस्ताव है कि माह में एक बार प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र करणपुर के चिकित्साधिकारी, ए० एन० एम० व एम० पी० डब्लू० के साथ क्षेत्र का भ्रमण करें।

जिसमें संस्था अपने स्वयं सेवक साथ रखे ताकि ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा अपने स्थान पर मिल सके, नवजात बच्चों का टीकाकरण भी किया जा सके और साथ ही इस अवसर का लाभ ग्रामीणों को स्वास्थ्य चर्चा के रूप में मिल सके, जिसमें परिवार कल्याण व नियोजन कार्यक्रम क्षय रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, अन्धता निवारण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिल जाये।

सितम्बर माह में संस्था कार्यकर्ता दल ने ग्राम खिजूरा, निभेरा, मोरेची, रावतपुरा के भ्रमण के दौरान पाया कि प्रत्येक परिवार में सर्दी लग कर चढने वाला बुखार फैल रहा है। संस्था कार्यकर्ताओं ने अपने पास उपलब्ध पेरासिटीमोल गोली दी व मु० चि० एवं स्वा० अधि० करौली में सूचना की, उसके पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने टीम गठित कर भेजी गई वहाँ पर १२ सकारात्मक मलेरिया रोगी पाये जिनमें एक पी० एफ० भी था। इनको मेडीकल ट्रीटमेन्ट उपलब्ध कराया गया। इस दिशा में सघन प्रयास की आवश्यकता है।

करणपुर में दवा वितरण केन्द्र प्रभारी व दाई प्रशिक्षण :-

ग्राम विकास समिति की बैठकों में महिलाओं व पुरूषों द्वारा केन्द्र प्रभारियों व दाई प्रशिक्षण की मांग की गई। बैठकों में ग्रामीणों द्वारा स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया कि उनके यहा से स्वास्थ्य केन्द्र अधिक दूर होने की वजह से व पर्याप्त यातायात सुविधा न होने से वे स्वास्थ्य केन्द्र का समुचित उपयोग नही कर पाते हैं। इसलिए उनके ग्राम की दाईयों को प्रशिक्षण व दवाईयों की जानकारी के लिए केन्द्र प्रभारियों को प्रशिक्षण दिलवाया जाये। संस्था द्वारा अनुगमन करने पर स्वास्थ्य विभाग ने १२/१२/९६ को एक प्रशिक्षण शिविर करनपुर में लगाने के आदेश प्रदान किये तथा संस्था को निर्देश दिया कि वह दाईयों व दवा वितरण केन्द्र प्रभारियों को प्रशिक्षण में लावे।

संस्था द्वारा निभैरा ग्राम पंचायत के गाँवो में संस्था द्वारा बनाये दवा वितरण केन्द्र प्रभारी व दाई प्रशिक्षण की इच्छुक महिलाओं को लेकर प्रशिक्षण के लिए करनपुर ले जाया गया, परन्तु स्वा० विभाग से प्रशिक्षण के लिए किसी भी चिकित्सक के न मिलने के कारण दवा वितरण केन्द्र प्रभारी व दाई प्रशिक्षण के लिए गई दाईयों का प्रशिक्षण नही हो पाया। हमें व ग्रामीणों को विभाग के रवैये से भारी निराशा हुई। संस्था द्वारा जिला कलैक्टर व स्वास्थ्य अधिकारी को इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण घटना की सूचना दी गई।

१. दवा वितरण केन्द्र :-

उपर्युक्त समस्या को देखते हुए संस्था द्वारा जिला कलैक्टर को मरमदा में कार्यरत कर्मचारी को पाबन्द करने या किसी अन्य कर्मचारी को लगाने व निभैरा में उप स्वा० केन्द्र खोलने के लिए पत्र लिखा गया। संस्था द्वारा प्रत्येक ग्राम में एक-२ दवा वितरण केन्द्र खोले गये जिसमें मुख्यतः बुखार, मलेरिया व उल्टी दस्त के लिए दवा रखी गई। परिवार नियोजन के साधन भी रखे गये। जिससे ग्रामीणों को छोटी-२ बीमारी के लिए कैलादेवी या करणपुर नही जाना पड़ा तथा उन्हें किराये का खर्चा भी वहन नही करना पड़ा और समय पर सुविधा उपलब्ध हो सके। दवा वितरण केन्द्र के प्रभारीयों को प्रशिक्षण दिलवाने की कोशिश की गई लेकिन सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से प्रशिक्षण असफल रहा।

२. मलेरिया:-

नवम्बर माह में निभैरा ग्राम पंचायत में मलेरिया फैल गया। वहा प्रत्येक घर में मलेरिया का बीमार व्यक्ति मौजूद था। इस समस्या को लेकर निभैरा ग्राम पंचायत के ग्राम खजुरा से ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष श्री गिरधारी गुर्जर व अन्य साथियों द्वारा इस सम्बन्ध में जिला कलैक्टर को लिख कर सूचना दी। जिला कलैक्टर ने तुरन्त आदेश जारी करे और स्वास्थ्य विभाग से पूरी टीम बीमारों के ईलाज के लिए ग्राम पंचायत निभैरा पहुँची। टीम ने वहा मलेरिया की रोकथाम की व मरीजों का निरिक्षण कर इलाज किया। आठों गाँवों में ग्राम पंचायत निभैरा के लगभग २०० व्यक्ति बीमार थे

जिनमें से ४० मरीजो को पी. एफ. मलेरिया निकला। उनका ईलाज मलेरिया विभाग द्वारा किया गया।

३. महिला नसबन्दी शिविरः-

निभैरा ग्राम पंचायत के गाँवों निभैरा, आशाकी, वीरमकी, मरमदा, मोरेची, भर्रपुरा, रायवेली व खजूरा से महिला नसबन्दी शिविर लगवाने की संस्था से मांग की गई। जिला कलेक्टर को संस्था द्वारा पत्र लिखा गया कि निभैरा ग्राम पंचायत में एक महिला नसबन्दी शिविर का आयोजन किया जाये। पर महिलाएँ अधिक न होने की वजह से यह शिविर ग्राम पंचायत निभैरा में न लगवाया जा कर करणपुर में लगवाया गया। जिसमें संस्थान की महिला कार्यकर्ता द्वारा प्रेरित किये जाने पर निभैरा ग्राम से ७ महिलाओं ने नसबन्दी करवाई। जब और महिलाओं ने देखा की इससे कोई नुकसान नही है तो बाद में दुसरे शिविर में अन्य महिलाओं ने भी नसबन्दी करवाई।

पंचायती राज सम्मेलन :-

पंचायती राज प्रतिनिधियों की समस्याओं को जानने के लिए ६ फरवरी, ९९ को करौली जिले के करणपुर क्षेत्र में पंचायत राज सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में डांग क्षेत्र के २२ गाँवों से पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच, उप प्रधान, पंचायती समिति के सदस्य, ग्राम सेवक व ग्राम सभा सदस्य उपस्थित हुऐ। उन्नति, जोधपुर से कु० शम्पा जी व कु० कीर्ति जी तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, करौली, श्री आर० सी० गुप्ता, विकास अधिकारी, सपोटरा, तहसीलदार, सपोटरा व सतत विकास संस्था के कार्यकर्ता सन्दर्भ व्यक्ति के रूप में उपस्थित थे। इसमें उपस्थित जन प्रतिनिधियों ने अपने अनुभवों को बताया तथा पंचायती राज के सफल संचालन में आ रही दिक्कतों की जानकारी दी। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने जन प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों की जानकारी प्रदान की और बताया कि पंचायत से लोगों को क्या मदद मिल सकती है। इस जानकारी से जन प्रतिनिधियों ने लाभ उठाया तथा इस तरह के और कार्यक्रमों की आवश्यकता बताई।

सहभागी ग्रामीण अध्ययनः-

निभैरा ग्राम पंचायत के ग्राम निभैरा, आशाकी, वीरमकी, मरमदा, मोरेची, भर्रपुरा, रायवेली व खजूरा में सहभागी ग्रामीण अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में १. सामाजिक २. मौसमी करण ३. संसाधन मानचित्र बनाये गये। इस अध्ययन से जानकारी मिली कि निभैरा में कुल १३२ घर है, ८ हैंडपम्प, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय व एक सामुदायिक भवन है। मोरेची में ५३ घर, ५ हैंडपम्प, एक सामुदायिक भवन है। रायवेली में ४३ घर, ५ हैंडपम्प, एक सामुदायिक भवन है। मरमदा में ८४ घर, ७ हैंडपम्प है, एक स्कूल, एक सामुदायिक भवन, ७ पटवार घर, एक हॉस्पीटल है। आशाकी में ७१ घर, ५ हैंडपम्प, एक स्कूल है। वीरमकी में ४६ घर, ४ हैंडपम्प है। खजूरा में २८ घर, ३ हैंडपम्प, एक सामूदायिक भवन है।

मौसमीकरण मानचित्र सभी गांवों का लगभग एक जैसा है। गैंहू की फसल अगहन से चैत तक करते है, धानी के फसल आषाढ से कार्तिक तक, चैत वैसाख व जेठ के महिने में मवेशी घर रहती है, और बाकी महिनों में खिरकारी पर रहती है, भादो से चैत तक खान पर मजदूरी करने जाते है। फूस, माह व चैत, वैसाख व जेठ में लकडी काटने जाते हैं। सभी के पास दो या तीन बीघा जमीन है। खेतों की सिचाई के लिए छोटी -२ पोखर बनी हुई है, जिनसे धानी और गैंहू की फसल भी पर्याप्त नही होती है। इन पोखरों से मवेशी पानी पीते हैं।

आँगन बाडी केन्द्र :-

आँगन बाडी केन्द्र :-

निभैरा ग्राम पंचायत के गाँवों में महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के लिए आँगन बाडी केन्द व उनमें कार्यरत कार्यकर्ता महत्व पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। निभैरा ग्राम पंचायत के ग्राम निभैरा, मरमदा व भर्रपुरा में आँगन बाडी केन्द्र स्वीकृत है परन्तु विभाग द्वारा वहां पर कार्यकर्ताओं की नियुक्ति नही की गई है। इसी प्रकार अन्य गाँवों में अभी तक आँगन बाडी केन्द्र खोले ही नही गये है। महिलाओं द्वारा जब समिति की बैठक में आँगन बाडी केन्द खोलने व खुले केन्द्रों पर कार्यकर्ता नियुक्ति करवाने के प्रस्ताव पारित किये तब समिति की ओर इस सम्बन्ध में जिला कलैक्टर को पत्र लिखा गया। जिला कलेक्टर ने इस सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही के लिए सम्बन्धित विभाग को निर्देश जारी कर दिये है। परन्तु अभी तक विभाग द्वारा ठोस कार्यवाही नही की गई है।

उत्तर साक्षरता अभियान में भागीदारी:-

जिला सम्पूर्ण साक्षरता समिति के सहयोग से संस्थान ने कार्य क्षैत्र के साक्षरता अभियान को गति देने का कार्य किया। इसके लिये ग्रामीणों, स्वंय सेवको, मास्टर ट्रेनर्स की अलग- अलग कार्यशालाएँ आयोजित की। इसके अलावा उन्हें आ रही समस्याओं के निपटारे की भी कोशिशें की गई। ग्रामीणों को उत्तर साक्षरता केन्दों पर आने के लिये प्रेरित किया गया। क्षैत्र में नव साक्षरों को केन्दो पर आने के लिये वातावरण का निर्माण भी किया गया।

चयनित परिवारों के नाम राशन कार्ड में दर्ज करवाने :-

निभैरा ग्राम पंचायत के आठों गांवों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को राशन की सामग्री नही मिलती थी। अप्रेल, १९९८ में नई चयनित सूची राज्य सरकार द्वारा बनाये जाने के बावजूद रसद विभाग द्वारा इस सूची में चयनित ग्रामीणों के नाम राशन कार्ड में दर्ज नही किये गये थे। इससे ग्रामीणों को राशन की वस्तुऐं सरकार द्वारा निर्धारित उचित दामों पर उपलब्ध नही हो पा रही थी। ग्रामीणों ने ग्राम विकास समिति की बैठक में यह प्रस्ताव रखा कि इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन को पत्र लिख कर नई चयनित सूची के परिवारों को उचित दरों पर सामग्री मिलने के लिए कार्यवाही की जावे। संस्था द्वारा एक पत्र जिला कलैक्टर व एक पत्र जिला रसद अधिकारी को लिखा गया। रसद अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर राशन कार्डों पर मोहर लगवाई गई। ग्रामीणों को राशन कार्ड से राशन की सामग्री व अन्य लाभ भी मिलने लगे।

राशन सामग्री न मिलने बाबत

ग्राम पंचायत निभैरा के ग्राम वीरमकी व अन्य गाँवों में राशन सामग्री समय पर नही मिलती थी। ग्राम विकास समिति व संस्थान द्वारा रसद अधिकारी व जिला कलैक्टर को पत्र लिखा गया। जिला प्रशासन द्वारा ग्रामीणों की इस मांग पर तुरन्त कार्यवाही की गई इससे ग्रामीणों को राशन सामग्री समय पर व पूर्ण मात्रा में मिलने लगी।

शिक्षा

निभैरा ग्राम पंचायत के ग्राम निभैरा स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में दो वर्ष से कोई अध्यापक नियुक्त नही किया गया था। इससे निभैरा व इसके आस पास स्थित गाँवों के बच्चे उच्च शिक्षा पाने से वंचित रह रहे थे। ग्राम विकास समिति ने प्रस्ताव रखा कि ग्राम में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक लगवाये जाये। इसके लिए उन्होनें कई पत्र जिला कलैक्टर को दिये व संस्था द्वारा भी कई पत्र लिखे गये। शिक्षा विभाग व जिला कलेक्टर के पास जाकर उन्हें ग्रामीणों की समस्या से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में निभैरा में अध्यापक लगाने के आदेश शिक्षा

विभाग को दिये। अब निभैरा ग्राम स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक अध्यापक व एक प्रधान अध्यापक का पदस्थापन हो गया है।

भर्रपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक रूकता नही था और न ही आता था। ग्राम विकास समिति भर्रपुरा द्वारा बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि विद्यालय के अध्यापक को बदलवाया जावे। इस सम्बन्ध में संस्था व ग्राम विकास समिति द्वारा जिला कलैक्टर को पत्र लिखा गया। भर्रपुरा में नये अध्यापक के लिए आदेश जारी हो चुके हैं, व उसने कार्य करना शुरू कर दिया है।

ग्राम मोरेची, रायबेली, खजुरा व वीरमकी गाँव में प्राथमिक विद्यालय शुरू करने के प्रस्ताव ग्राम विकास समिति की बैठक से प्राप्त होने पर इस सम्बंध में पूरे तथ्यों के साथ राज्य सरकार को जिला परिषद व जिला कलेक्टर के माध्यम से भेजे गये। राज्य सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला योजना के तहत ग्राम मोरेची, खजुरा, वीरमकी व रायबेली में विद्यालय शुरू करने का आश्वासन दिया है।

पानी :-

निभैरा ग्राम पंचायत में दीपावली के बाद से पीने के पानी की कमी की समस्या शुरू हो जाती है। इस क्षेत्र के लोग पीने का पानी हैंडपम्प से ही लाते हैं क्योंकि यहाँ कुओं का पानी का जल इन दिनों में समाप्त हो जाता है। हैंडपम्पों में अधिक पानी निकालने पर पानी गंदा आने लगता है या पानी आता ही नही है, और हैंडपम्प खराब हो जाते है। डोंग क्षेत्र में यह एक मुख्य समस्या है। ग्रामीणों द्वारा ग्राम विकास समिति की बैठक में यह समस्या हमेशा आती रही है। ग्रामीणों ने जिला कलैक्टर को कई पत्र लिखे और इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा भी भरसक प्रयास किये गये। हैंडपम्प सुधारने वाले आते हैं, और सही करके चले जाते है। लेकिन हैंडपम्प दो चार दिन में फिर खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों ने हैंडपम्प सही करने के लिए स्थानीय स्तर पर हैंडपम्प मिस्त्री लगाने अथवा उन्हें हैंडपम्प सुधारने का प्रशिक्षण दिलाने की मांग की। संस्था द्वारा इस सम्बन्ध में जिला कलैक्टर व जल प्रदाय विभाग को पत्र लिखा गया तथा ग्रामीणों को प्रशिक्षण की सम्भावना के बारे में बातचीत की गई। अधिकारियों का कहना है कि सुझाव अच्छे हैं, और वे अपने अधिकारियों से बात कर प्रशिक्षण कराने का प्रयास करेंगे।

कोली पाडा, करौली में पक्की सडक निर्माण :-

करौली जिले के कोली पाड़ा में बहुत दिनों से एक कच्ची सड़क थी। वर्षा के दिनों में उस सडक से गुजरना दुर्लभ था। सडक पर कीचड़ भारी मात्रा में जमा हो जाता था। इस सड़क को पक्का करवाने में सहयोग की मांग के साथ कोली पाडा मोहल्ले के लोग संस्था में मिले। संस्था द्वारा लोगों के साथ जिला कलैक्टर को इस समस्या बावत पत्र द्वारा बताया गया। संस्था ने नगर पालिका में अनुगमन करके जिला कलैक्टर से पक्की सड़क कराने का आदेश जारी करवाया। पक्की सडक का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

वृद्धावस्था पैंशन :-

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत ६५ वर्ष से अधिक उम्र के बेसहारा वृद्धों को सरकार द्वारा पैंशन दी जाती है। ग्रामीणों ने संस्था से अनुरोध किया कि नियमों की पर्याप्त जानकारी के अभाव में वे इस योजना का लाभ नही ले पा रहे हैं। ग्राम पंचायत निभैरा के ग्रामों में ऐसे बूजुर्ग व्यक्ति जो वृद्धावस्था पेंशन के नियम में आते है, उनके फोर्म भरवाकर सरपंच व अन्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर आदि करवाकर सभी आवश्यक पूर्तियों के साथ सपोटरा पंचायत समिति में ५३ व्यक्तियों के पैंशन प्रपत्र जमा करवा दिये गये है।

स्व रोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

महिलाओं ने महिला बैठक के दौरान उन्हें स्व रोजगार दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किये। इस सम्बन्ध में संस्थान द्वारा जिला कलैक्टर को उचित कार्यवाही करने के लिए अनुरोध किया गया। जिला कलैक्टर महोदया ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये। संस्थान द्वारा भी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक से बातचीत की गई परन्तु अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही शुरू नही हुई है। संस्था द्वारा कोशिश की जा रही है।

इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा राजस्थान ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर तथा ग्राम सेवा मंडल करौली से भी बातचीत की गई है। राजस्थान ग्रामीण विकास अभिकरण, जयपुर के परियोजना प्रबन्धक एक क्षेत्र का एक बार दौरा भी कर चुके हैं।

सौर उर्जा लाईट :-

निभैरा ग्राम पंचायत के आठों ग्राम निभैरा, आशाकी, बीरमकी, मरमदा, मोरेची, भर्रपुरा, रायदेती व खजूरा में लाईट की कोई भी व्यवस्था नही थी। निभैरा, मरमदा व भर्रपुरा में चौराहों पर सौर उर्जा लाईट लगी हुई थी। लाईटों की किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी नही थी इसलिए लाईट खराब पड़ी हुई थी। ग्राम विकास समिति की बैठकों में ग्रामीणों ने यह प्रस्ताव रखा कि उनके घरों में सौर लाईटें लगवाई जावे। ग्रामीणों व संस्था द्वारा सहायक अभियन्ता, करौली, निदेशक, सौर उर्जा विकास अभिकरण, जयपुर व जिला कलैक्टर, करौली को पत्र लिखा गया। फरवरी, ९६ में सौर उर्जा की लाईट सात गांवों में घरों में लग गई। इनका ग्रामीण खुद रख रखाव करते है। यह लाइट ७३०/- रू० प्रति लाईट लगी। कुल ४२० लाईट लगी हैं। इससे ग्रामीणों का ईंधन की बचत, समय की बचत, जंगली जानवरों से बचाव, कैरोसीन की बचत व जंगल कटने से बचाव हुआ है।